



# झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद



स्थान: रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची, टेली-फैक्स: 0651-2972681

E-mail: [jspcranchi@gmail.com](mailto:jspcranchi@gmail.com)

सं.सं.पारा मेडि 04/2011..... राँची, दिनांक-.....

डॉ.राजेन्द्र पासवान  
निदेशक प्रमुख  
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड  
सह अध्यक्ष

## कार्यालय आदेश

दिनांक 21/05/2019 को सम्पन्न शासी परिषद् की बैठक में लिये गये निम्न निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

1. सरकारी/गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थानों को प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में 10,000/(दस हजार) जाँच शुल्क जमा करना है। 31 दिसम्बर तक जाँच शुल्क जमा नहीं करने पर उनसे प्रत्येक माह रु.500/की दर से विलम्ब शुल्क वसूली का प्रावधान।
2. गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान की मान्यता प्राप्ति हेतु संस्थान एवं हॉस्पिटल की अधिकतम दूरी 10 कि० मी० तक रखे जाने का प्रावधान।
3. गैर सरकारी संस्थानों में एम.बी.बी.एस. चिकित्सक के अतिरिक्त डेन्टिस्ट को भी फ़ैकल्टी के रूप में रखे जाने का प्रावधान।
4. गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान यदि संस्थान का स्थान परिवर्तन करना चाहे तो परिषद् को 50,000/(पचास हजार) मात्र का शुल्क देय होगा। परिषद् पुर्ननिरीक्षण कर सही मानक पाये जाने पर मान्यता बहाल किये जाने का प्रावधान।

झारखण्ड पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली 2010 की कण्डिका -5(क) एवं कण्डिका- 23 के तहत उक्त उप नियम प्रतिपादित किये जा रहे हैं।

प्रो.डॉ.विवेक कश्यप  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष  
पी. एस. एम. विभाग  
रिम्स, राँची सह  
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी  
निदेशक

प्रो.डॉ.डी.के.सिन्हा  
प्राध्यापक, सर्जरी विभाग  
रिम्स, राँची सह  
परीक्षा नियंत्रक

(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक .....116.....राँची, दिनांक-15/6/19

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, स्वास्थ्य चि.शि.एवं प. क. विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयोजक राजकीय पारामेडिकल संस्थान रिम्स राँची, पी.एम.सी.एच.धनबाद, एम.जी.एम.सी.एच.जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रो.डॉ.बी.सी.अधिकारी,  
प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग  
रिम्स, राँची सह  
शैक्षणिक समन्वयक

डॉ.आई.डी.चौधरी  
निबंधक

(सदस्य सचिव)

15/6/19  
15/6/19